न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ), जयपुर

पीठासीन अधिकारीः— डॉ. अशोक कुमार RAS
अपील संख्या : 346/2018

गंगाराम पुत्र भुवाना, जाति—बागडा ब्राम्हण, निवासी—ग्राम जाहोता, तहसील—आमेर, जिला—जयपुर।

अपीलान्ट,

बनाम

1. गायत्री देवी पत्नी बाबूलाल, जाति—बागडा ब्राम्हण, निवासी—ग्राम जाहोता, तहसील—आमेर, जिला—जयपुर।
2. सावित्री देवी पत्नी रतनलाल, जाति—बागडा ब्राम्हण, निवासी—ग्राम जाहोता, तहसील—आमेर, जिला—जयपुर।
3. लाली देवी पत्नी गिरधारी, जाति—बागडा ब्राम्हण, निवासी—ग्राम जाहोता, तहसील—आमेर, जिला—जयपुर।
4. मनभरी देवी पत्नी प्रभात, जाति—बागडा ब्राम्हण, निवासी—ग्राम जाहोता, तहसील—आमेर, जिला—जयपुर।
5. बाबूलाल पुत्र प्रभात, जाति—बागडा ब्राम्हण, निवासी—ग्राम जाहोता, तहसील—आमेर, जिला—जयपुर।
6. रतनलाल पुत्र प्रभात, जाति—बागडा ब्राम्हण, निवासी—ग्राम जाहोता, तहसील—आमेर, जिला—जयपुर।
7. गिरधारी पुत्र प्रभात, जाति—बागडा ब्राम्हण, निवासी—ग्राम जाहोता, तहसील—आमेर, जिला—जयपुर।
8. मोहरी देवी पत्नी भगवान सहाय, जाति—बागडा ब्राम्हण, निवासी—ग्राम जाहोता, तहसील—आमेर, जिला—जयपुर।
9. सरकार जरिये तहसीलदार, आमेर, तहसील—आमेर, जिला—जयपुर।

रेस्पोडेंट्स,

(राजस्व अपील विरूद्ध निणर्य तहसीलदार, आमेर दिनांक 04.05.2012 क्रमांक भू.अ./12/1896 जिसके द्वारा भूमि ख0नं0 664, 665, 687, 702, 790, 799, 800, 801, 802, 803, 817, 818, 823/2273, 824, 825, 834 कुल किता 16 कुल रकबा 6.02 हे0 ग्राम जाहोता, तहसील--आमेर का अवैध रूप से विभाजन का दिया गया, अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट)

उपस्थितः—

1. श्री लालचंद जाट, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री हेमन्त सौगानी, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट सं0 1 लगा0 7 की ओर से।
3. रेस्पोडेन्ट सं0 8 बावजूद सूचना अनुपस्थित।
4. पेरोकार सरकार रेस्पोडेन्ट सं0 9 की ओर से।

Scanned by CamScanner

दिनांक : 30.10.2019

निर्णय

अपीलान्ट द्वारा यह अपील कृषि भूमि का सहमति से बंटवारानामा तहसीलदार, आमेर के आदेश दिनांक 04.05.2012 वाके ग्राम जाहोता, तहसील–आमेर के विरूद्ध पेश की गई है, जिसके संबंध में न्यायालय अति. कलक्टर, जयपुर (तृतीय) द्वारा दिनांक 16.06.2015 को निर्णय पारित कर अपील अपीलान्ट स्वीकार की गई थी। उक्त आदेश के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में निगरानी सं0 टी.ए./4181/2015/जयपुर दायर की गई थी। न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल द्वारा निर्णय दिनांक 01.11.2018 द्वारा इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.06.2015 को अपास्त करते हुए प्रकरण रिमाण्ड किया गया है।

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, अजमेर से प्रकरण रिमाण्ड होकर प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कराया जा कर रेस्पोडेन्ट्स को नियमानुसार नोटिस जारी किये गये।

प्रकरण का संक्षेप विवरण इस प्रकार है कि ग्राम जाहोता स्थित कृषि भूमि कुल किता 15 कुल रकबा 541 हे0 भूमि में से अपीलान्ट 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार है व 1/3 हिस्से में रेस्पोडेन्ट सं0 1 लगा0 3 व शेष 1/3 हिस्से के रेस्पोडेन्ट सं0 4 लगा0 7 खातेदार काश्तकार है। अपीलान्ट ने ख0नं0 भूमि ख0नं0 702 रकबा 0.61 हे0 जिसमें भी अपीलान्ट का अविभाजित हिस्सा 1/3 निहित था, अपीलान्ट ने ख0नं0 702 में अपना सम्पूर्ण 1/3 हिस्सा जरिये विक्रय पत्र सोहनी देवी पत्नी नानूराम लाम्बा, जाति–जाट, निवासी–चौमू को विक्रय कर दिया। इसके पश्चात् सोहनी देवी ने रेस्पोडेन्ट सं0 8 मोहरी देवी को जरिये विक्रय पत्र उक्त भूमि का बैचान कर दिया। जिसका नामान्तरकरण सं0 622 दर्ज होकर ख0नं0 702 के 1/3 हिस्से की रेस्पोडेन्ट सं0 8 काबिज रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। इस प्रकार अपीलान्ट का ख0नं0 702 में कोई हक व हिस्सा शेष नही रहने के कारण वह सहखातेदार नही था। रेस्पोडेन्ट सं0 1 लगा0 7 ने आपस में साझ कर अपीलान्ट की जगह उसकी एवज में किसी फर्जी व्यक्ति को खडा करके फर्जी हस्ताक्षर करवाकर फर्जी तरीके से विभाजन करवा लिया। बंटवारानामा में ख0नं0 702 में अपीलान्ट का कोई हक व हिस्सा नही रहते हुए भी अपीलान्ट को 0.41 हे0 जमीन दे दी गई, जिसका वह खातेदार नही था। जिसके संबंध में अपीलान्ट को मालूम होते ही अपीलान्ट ने जरिये इस्तगासे के पुलिस थाना चौमू में दिनांक 23.05.2012 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई।

अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार, आमेर द्वारा पारित निर्णय क्रंमाक भू.अ./12/1896 दिनांक 04.05.2012 को निरस्त करने हेतु अपील प्रस्तुत की गई। उक्त अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय अति. कलक्टर, जयपुर तृतीय द्वारा दिनांक 16.06.2015 को अपील

Scanned by CamScanner

अपीलान्ट स्वीकार की जा कर तहसीलदार, आमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.05.2012 निरस्त कर दिया। उक्त निर्णय के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में एक निगरानी सं0 टी.ए./4181/2015/जयपुर दायर की गई जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 01.11.2018 को निर्णय पारित कर अति. कलक्टर, जयपुर तृतीय द्वारा पारित निर्णय को अपास्त करते हुए प्रकरण रिमाण्ड किया गया है।

हमनें उभयपक्षों की बहस सुनी।

अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने दौराने बहस कथन किया कि ग्राम जाहोता की कृषि भूमि कुल किता 15 कुल रकबा 5.41 हे0 भूमि का अपीलान्ट 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार है व 1/3 हिस्से के रेस्पोडेन्ट सं0 1 लगा0 3 तथा शेष 1/3 हिस्से के रेस्पोडेन्ट सं0 4 लगा0 7 काश्तकार है। अपीलान्ट की भूमि ख0नं0 702 रकबा 0.61 हे0 जिसमें भी अपीलान्ट का अविभाजित 1/3 हिस्सा निहित था, अपीलान्ट ने उक्त खसरा नम्बरान में से ख0नं0 702 रकबा 0.61 हे0 जिसमें अपीलान्ट का अविभाजित हिस्सा 1/3 था अपीलान्ट ने ख0नं0 702 में अपने सम्पूर्ण 1/3 हिस्से को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र सोहनी देवी पत्नी नानूराम लाम्बा, जाति–जाट, निवासी–चौमू को विक्रय कर दिया था। इसके बाद सोहनी देवी ने रेस्पोडेन्ट सं0 8 को उक्त भूमि रकबा 0.61 हे0 जरिये विक्रय पत्र बैचान कर दिया। जिसका रेस्पोडेन्ट सं0 8 का नामान्तरकरण सं0 622 दर्ज होकर ख0नं0 702 के 1/3 हिस्से की वह रिकार्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है। इस प्रकार अपीलान्ट का ख0नं0 702 में कोई हक व हिस्सा शेष नही रहा। अपीलान्ट ख0नं0 702 का सहखातेदार काश्तकार भी नही था। तहसीलदार, आमेर के समक्ष रेस्पोडेन्ट सं0 1 लगा0 7 ने आपस में साझ कर अपीलान्ट की जगह उसकी एवज में किसी फर्जी व्यक्ति को खडा कर के उसके हस्ताक्षर करवाकर फर्जी तरीके से वादग्रस्त भूमि का विभाजन करवा लिया। जिसके संबंध में अपीलान्ट को मालूम होते ही अपीलान्ट ने जरिये इस्तगासे के पुलिस थाना चौमू में दिनांक 23.05.2012 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई।

रेस्पोडेन्ट सं0 9 तहसीलदार, आमेर के समक्ष राजस्व रिकार्ड व अन्य दस्तावेजों से यह बखूबी तरीके से साबित था कि अपीलान्ट के द्वारा ख0नं0 702 में उसके सम्पूर्ण हिस्से का बैचान कर दिया गया है। इसके पश्चात, रेस्पोडेन्ट द्वारा साझ व षडयन्त्र कर फर्जी अगूंठा निशानी के जरिये बंटवारानामा प्रस्तुत कर ख0नं0 702 में अपीलान्ट का कोई हक व हिस्सा शेष नही रहते हुए भी अपीलान्ट को 0.41 हे0 जमीन दे दी गई जिसका वह खातेदार भी नही था। तथाकथित विभाजन से ख0नं0 702 में से 0.41 हे0 भूमि अपीलान्ट के हिस्से में विधिक रूप से नही दी जा सकती थी। समस्त तथ्यों के

Scanned by CamScanner

रिकार्ड पर उपलब्ध होते हुए भी रेस्पोडेन्ट सं0 9 ने तथ्यों व वास्तविकता की जांच किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। अपीलान्ट ने तहसीलदार के समक्ष विभाजन की कोई सहमति नही दी। अपीलान्ट को उक्त अपीलाधीन आदेश की पूर्व में कोई जानकारी नही रही उसे सर्वप्रथम दिनांक 15.05.2012 को जानकारी होने पर उसके द्वारा तहसील कार्यालय में आकर मालूमात कर नकल प्राप्त की तो उसे उसके फर्जी हस्ताक्षरों की जानकारी हुई जिसके पश्चात् अपीलान्ट ने फौजदारी न्यायालय में इस्तगासा दर्ज कराकर इस्तगासे के आधार पर पुलिस थाना चौमू द्वारा दिनांक 23.05.2012 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की। बंटवारानामा पर अपीलान्ट के जो फर्जी हस्ताक्षर करवायें गये है उनकी डॉ. दिनेश सेठी के समक्ष अपीलान्ट के द्वारा किये गये हस्ताक्षरों की जांच फोरन्सिक कन्सलटेन्ट से जांच कराये जाने पर उनकी जांच रिपोर्ट दिनांक 12.09.2012 के अनुसार बंटवारानामा में किये गये हस्ताक्षर अपीलान्ट के हस्ताक्षरो से मेल नही होना पाया गया है। जबकि राजकीय फोरन्सिक लेब से पुलिस विभाग द्वारा कराई गई जांच रिपोर्ट दिनांक 18.03.2012 को जारी की गई है। जबकि प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 23.05.2012 को दर्ज कराई गई थी। इस प्रकार राजकीय फोरन्सिक लेब द्वारा की गई जांच संदेह पूर्ण है। वादग्रस्त बंटवारानामा में अपीलान्ट के फर्जी हस्ताक्षर अपील प्रस्तुत करने में जो देरी हुई है वह जानकारी के अभाव व अज्ञानतावशः हुई है। अतः अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपील स्वीकार की जावें। वकील अपीलान्ट द्वारा निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये :–

1. आर.आर.डी. 14.12.2008 पृष्ठ सं0 804
2. आर.बी.जे. (5) 1998 पृष्ठ सं0 626
3. आर.आर.डी. 1998 पृष्ठ सं0 319

विद्वान् अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने दौराने बहस कथन किया कि रेस्पोडेन्ट सं0 9 तहसीलदार, आमेर द्वारा कृषि भूमि का आपसी सहमति से बंटवारा दिनांक 04.05.2012 को अपीलान्ट की उपस्थिति में किया गया था, परन्तु अपीलान्ट द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं एफ.एस.एल. कार्यवाही के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्ज आरोप अर्न्तगत धारा 420, 467, 468, 471 एवं 120 बी निरस्त किया गया है। अपीलान्ट की उपस्थिति में तहसीलदार द्वारा बंटवारें की कार्यवाही सम्पादित की गई है तथा सह–खातेदारों की खातेदारी भूमि का बंटवारा समान रकबे के आधार पर किया गया है। अपीलान्ट आराजी ख0नं0 702 का 1/3 हिस्से का काश्तकार रहा है जिसमें से अपीलान्ट को बंटवारे के समय भूमि दी गई है तथा मुताबिक बंटवारे के वह अभी भी काबिज है। अपीलान्ट को बंटवारें की जानकारी

Scanned by CamScanner

होने के बावजूद भी अपीलान्ट द्वारा अपील बिना किसी ठोस कारण के विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावें।

हस्तगत अपील पर अति. कलक्टर, जयपुर तृतीय द्वारा दिनांक 16.06.2015 को निर्णय पारित कर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जा कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.05.2012 तहसीलदार, आमेर खारिज किया गया था। उक्त अपील के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट द्वारा निगरानी सं0 टी.ए./4181/2015/जयपुर उनवानी बाबूलाल वगै0 बनाम गंगाराम वगै0 माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में दायर की गई जिसमें माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 01.11.2018 को निर्णय पारित करते हुए न्यायालय अति. कलक्टर जयपुर, तृतीय के न्यायालय में दर्ज प्रकरण सं0 45/2012 को अपास्त करते हुए प्रकरण पुनः दर्ज कर उभयपक्षों को सुनकर निर्णय पारित करने हेतु प्रति प्रेषित (रिमाण्ड) किया गया। जिसकी पालना में प्रकरण दिनांक 19.12.2018 को दर्ज रजिस्टर किया गया है।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार द्वारा दौराने बहस कथन किया कि पक्षकारान के मध्य आपसी सहमति से उनकी खातेदारी कृषि भूमि का बंटवारा किया गया है। बंटवारें के वक्त अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट्स द्वारा आपसी सहमति से बंटवारे नामें को पढ एवं समझ कर रेस्पोडेन्ट सं0 9 तहसीलदार, आमेर के समक्ष हस्ताक्षर किये गये थे। अतः तहसीलदार, आमेर द्वारा दिनांक 04.05.2012 को जारी बंटवारानामा विधिक प्रक्रिया पूर्ण कर जारी किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावें।

हमनें उभयपक्षों की बहस सुनी। प्रकरण में उभयपक्षों द्वारा की गई बहस पर गौरपूर्वक मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया। उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अवलोकन किया। अति. जिला कलक्टर, तृतीय जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.06.2015 के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, अजमेर में निगरानी पेश की गई थी। जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा तत्कालीन अति. कलक्टर तृतीय, जयपुर द्वारा मियाद अधिनियम धारा 05 को निर्णित नही करने के कारण प्रकरण को रिमाण्ड किया गया है। प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 05 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एवं अपीलान्ट–रेस्पोडेन्ट्स द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों एवं दस्तावेजो का गहनता से अवलोकन किया गया। तहसीलदार, आमेर द्वारा दिनांक 04.05.2012 को बंटवारानामा स्वीकृत किया गया है जिसकी अपीलान्ट को जानकारी दिनांक 15.05.2012 को हुई है। इसके पश्चात् प्रार्थी द्वारा दिनांक 23.05.2012 को प्रस्तुत इस्तगासे के साथ तहसील कार्यालय से प्राप्त प्रमाणित प्रति संलग्न की गई तथा दिनांक 06.06.2012 को पुनः नकल प्राप्ति का

Scanned by CamScanner

प्रार्थना पत्र प्राप्त कर दिनांक 08.06.2012 को इस न्यायालय में अपील पेश की गई थी। जबकि रेस्पोडेन्ट द्वारा यह कथन किया गया है कि अपीलान्ट बंटवारानामें के समय तहसीलदार के समक्ष उपस्थित हुआ था तथा गंगाराम ने बंटवारानामें पर तहसीलदार के समक्ष हस्ताक्षर किये थे। गंगाराम पढा–लिखा व्यक्ति है तथा तहसीलदार के आदेश की प्रारंभ से उसे जानकारी हुई है। अतः वह अपील में हुई देरी को कण्डोन करने का अधिकारी नही है। इस विषय पर हमारा मत है कि अपीलान्ट को प्रकरण की जानकारी होने पर अपीलान्ट द्वारा विधिक कार्यवाही करते हुए प्रकरण में एफ.आई.आर दर्ज कराने एवं राजस्व रिकार्ड प्राप्त कर अपील प्रस्तुत की गई है। दिनांक 04.05.2012 को स्वीकृत किये गये बंटवारानामा की जानकारी एवं विविध कानूनी कार्यवाही एवं नकल प्राप्ति के कारण निर्धारित एक माह से अधिक मात्र चार दिन देरी से प्रार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत की गई है। इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मे हुई देरी को कण्डोन किया जा कर प्रार्थी का धारा 05 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील में धोखेधडी से फर्जी व्यक्ति से हस्ताक्षर करवाकर बंटवारा किये जाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। जिसके संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 19.11.2013 को निर्णय पारित किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के संबंध मे इस न्यायालय द्वारा कोई व्याख्या किया जाना उचित नही है। पक्षकारान् द्वारा प्रस्तुत बंटवारानामा में गंगाराम पुत्र भुवाना का हिस्सा 1/3, गायत्री देवी पत्नी बाबूलाल, सावित्री देवी पत्नी रतनलाल एवं लाली देवी पत्नी गिरधारी हिस्सा 1/3, मनभरी बेवा प्रभात, बाबूलाल, रतनलाल, गिरधारी पुत्रान् प्रभात हिस्सा 1/3 जाति–बागडा ब्राम्हण, तहसील–आमेर में स्थित ख0नं0 664, 665, 687, 790, 799, 800, 801, 802, 803, 817, 818, 823/2273, 824, 825, 834 कुल किता 15 कुल रकबा 5.41 हे0 है एवं ख0नं0 702 रकबा 0.61 हे0 मे गंगाराम पुत्र भुवाना श्रीमती मोहरी देवी पत्नी भगवान सहाय हिस्सा 1/3 अंकित किया गया। नकल जमाबंदी सम्वत् 2065–2068 वाके ग्राम जाहोता, तहसील–आमेर के आधार पर अपीलान्ट द्वारा आराजी ख0नं0 702 रकबा 0.61 हे0 में अपना हिस्सा 1/3 जरिये विक्रय पत्र श्रीमती सोहनी देवी को बैचान किया जाना स्पष्ट है। क्रेता के पक्ष में नामान्तरकरण सं0 620 दिनांक 20.07.2009 स्वीकृत हो चुका है। इसके पश्चात् श्रीमती सोहनी देवी द्वारा क्रय की गई उक्त भूमि का बैचान मोहरी देवी को किया गया है। बंटवारानामा दिनांक 04.05.2012 को स्वीकृत किया गया है। जबकि उक्त तिथी को अपीलान्ट का ख0नं0 702 में कोई हिस्सा नही था। प्रस्तुत बंटवारानामा में अपीलान्ट का हिस्सा दर्शाया गया एवं बंटवारा स्वीकृति में हिस्सा दर्ज किया गया है, जो विधि

Scanned by CamScanner

अनुसार उचित नही है। तहसीलदार, आमेर द्वारा राजस्व रिकार्ड की गहनता से जांच कर बंटवारा किया जाना चाहिए था। बंटवारानामा का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि पटवारी हल्का जाहोता एवं भू–अभिलेख निरीक्षक जाहोता द्वारा भी राजस्व रिकार्ड की जांच किये बिना ही बंटवारानामे पर अपने हस्ताक्षर कर दिये है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट का अवलोकन करने पर यह जानकारी हुई है कि पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट में समस्त भूमि का खातेदार मात्र गंगाराम पुत्र भुवाना को ही अंकित किया है। अन्य सहखातेदारो के नाम अंकित नही किये गये है। पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 14.02.2012 को जमाबंदी जारी की गई है जिसमें पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्ट गंगाराम द्वारा ख0नं0 702 रकबा 0.61 हे0 भूमि हिस्सा 1/3 के विक्रय पर क्रेतागण के नामान्तरकरण की प्रविष्टियां अंकित की गई है। इस प्रकार जमाबंदी के अवलोकन से यह भली–भांति स्पष्ट है कि पटवारी हल्का जाहोता को ख0नं0 702 के विक्रय की रिकार्ड अनुसार जानकारी थी, परन्तु उसके द्वारा तथ्यों को छुपाते हुए गलत बंटवारानामा में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। इसी प्रकार भू–अभिलेख निरीक्षक जाहोता द्वारा भी बिना रिकार्ड का अवलोकन किये अपनी रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किये गये है। जबकि ख0नं0 702 के अपीलान्ट के हिस्से की भूमि को अपीलान्ट पूर्व में बैचान कर चुका था।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार, आमेर द्वारा ग्राम जाहोता की वादग्रस्त कृषि भूमि का आपसी सहमति से बंटवारे का आदेश दिनांक 04.05.2012 खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली लौटाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 30.10.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर जिला–जयपुर (राज.) सत्यमेव जयते

(डॉ. अशोक कुमार)
अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ),
जयपुर

Scanned by CamScanner